उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0 – 2625439, 2622363, 2628461

संख्या: 336/रो0/07–130जन/87–2007 दिनांक: 6 जुलाई, 2007

समस्त मंडलीय प्रधान प्रबंधक
समस्त क्षेत्रीय/सेवा प्रबंधक
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय : बसों, मार्गों,चालकों/परिचालकों का श्रेणी निर्धारण के अनुसार मार्गों का आवंटन।

निगम की बसों से अच्छे प्रतिफल प्राप्त करने, दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने तथा कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि निगम के संसाधनों (बसों/कू) का आवंटन इस ढंग से किया जाये कि यात्री उपलब्धता एवं सेवा की विशिष्टता के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम सेवाओं पर सर्वोत्तम चालक/परिचालक ही तैनात हों। निगम मुख्यालय से इस दिशा में पूर्व में निर्गत परिपत्रों का अनुपालन डिपो एवं क्षेत्रीय स्तरों पर नहीं हो रहा है जिससे कि न केवल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है अपितु यात्रियों से शिकायतों तथा बिना टिकट यात्री ले जाने इत्यादि के मामलों में भी वृद्धि हुई है। मार्गों पर बसों के आवंटन एवं प्रतिष्ठित मार्गों पर चालकों /परिचालकों के सही ढंग से आवंटन न किए जाने संबन्धी शिकायतें भी प्राप्त हो रही है।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि कृपया डिपों की बसों, मार्गों, चालको एवं परिचालकों को A, B, C, श्रेणी में उनके वर्गीकरण अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाये। वर्गीकरण निम्नवत् दिशा निदेशों के अनुरुप किया जाये :–

बसों का वर्गीकरण

ए :– 0 से 4 लाख कि0मी0 तक चली हुई बसें
बी :– 4 से अधिक एवं 6 लाख कि0मी0 तक चली हुई बसें
सी :– 6 लाख कि0मी0 से ऊपर चली हुई बसें

चालकों का वर्गीकरण

श्रेणी	अनुभव	दुर्घटनाओं का विवरण	आयुवर्ग
ए	न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा	पिछले3वर्षो में दुर्घटना या गंभीर क्षति का मामला न हो तथा प्रति वर्ष न्यूनतम 50 हजार कि0मी0संचालित किया हो ।	35 से 50 वर्ष
बी	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा	पिछले 2 वर्षों में दुर्घटना या गंभीर क्षति का मामला न हो तथा प्रति वर्ष न्यूनतम 40 हजार कि0मी0संचालित किया हो	30से 50 वर्ष
सी	शेष अन्य		

1. उच्चतर श्रेणी में जाने के लिए प्रत्येक चालक द्वारा वर्ष में कम से कम 50000 कि0मी0 दुर्घटना शून्य संचालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि ए एव बी वर्ग के किसी भी चालक द्वारा गंभीर दुर्घटना की जाती है तो उसे सी श्रेणी में डाल दिया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ–2–प

Downloaded from www.upsrtc.com

परिचालकों का वर्गीकरण :–

श्रेणी	लोड फैक्टर	वार्षिक संचालित कि0मी0
ए	65 प्रतिशत से अधिक (विगत 3 वर्षों में)	न्यूनतम 40000 कि0मी0
बी	60 प्रतिशत से अधिक (विगत 2 वर्षों में)	न्यूनतम 40000 कि0मी0
सी	शेष अन्य	

मार्गों का निर्धारण :–

'ए' – (1) 400 कि0मी0 से अधिक बस उपयोगिता एवं समस्त अर्न्तराजीय मार्ग जो 200 कि0मी0 से अधिक संचालित हों ।

'बी' – 300 से 400 कि0मी0 बस उपयोगिता

'सी' – शेष अन्य मार्ग ।

उपरोक्तानुसार वर्गीकरण करने के उपरांत यह सुनिश्चित किया जाये कि :–

1. ए श्रेणी की बसों का संचालन ए श्रेणी के मार्गों पर ए श्रेणी के चालकों/परिचालकों द्वारा ही किया जाये।
2. बी श्रेणी की बसों का संचालन केवल ए एवं बी श्रेणी के मार्गों तथा ए एवं बी श्रेणी के चालकों/परिचालको द्वारा किया जाये।
3. सी श्रेणी की बसों का संचालन सी श्रेणी के मार्गों पर उसी वर्ग के चालकों/परिचालकों अथवा बी श्रेणी के अवशेष चालकों परिचालकों से किया जाये।
4. चालकों/परिचालकों का श्रेणीवार आवंटन करते समय उनके रेस्ट रिलीवर तथा अवकाश प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी संबन्धित श्रेणी से ही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणीवार बसों, चालकों परिचालकों एवं मार्गों का निर्धारण डिपो स्तर पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में डिपो प्रभारी तथा डिपो फोरमैन की समिति द्वारा दिनांक 20.07.07 तक करके क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तुत किया जायेगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक की समिति द्वारा इसका परीक्षण कर 23.07.07 तक मण्डलीय प्रधान प्रबंधक को प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षणोपरांत अनुमोदन 25.07.07 तक मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

अनुमोदित किये गये आबंटन में कोई भी परिवर्तन, भविष्य में मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक के अनुमोदनोपरान्त ही किया जा सकेगा ।

अनुमोदित आवंटन तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं इसका विचलन करने पर सम्बन्धित क उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा शिथिल पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण पाये जाने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तरदायी होगें।

कृपया परिपत्र से तत्काल अपने पर्यवेक्षकों एवं सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को अवगत करा दें एवं नोटिस बोर्डो पर भी प्रदर्शित कर दें।

मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक अपने मण्डल के डिपो एवं क्षेत्रों का उपरोक्त समय सारिणी के अनुसा कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0) को दिनांक 28.07.0 तक प्रेषित करेंगे, जो अपर प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक के अवगतार्थ प्रस्तुत क जायेगी।

(संजय मूसरेड्डी)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com